## निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 578-85/निदे0म0क0/कम्प्यू0सेल/2015–16,

दिनांक : लखनऊ : 17 नवम्बर, 2015

श्रीमती प्रेमवती,
सहायक निदेशक/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
मुख्यालय।

शासनादेश संख्या– 1186/60–3–15–13(12)/2015 दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 में निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदान संख्या– 49 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के मद में प्राविधानित बजट धनराशि रू0 100 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 50 करोड़ की धनराशि व्यय हेतु आवंटन आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके अनुपालन में निदेशालय पत्र संख्या– 437/निदे0म0क0/कम्प्यू0सेल/2015–16, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष को उक्त प्रयोजन हेतु रू0 50 करोड़ की धनराशि का आवंटन निर्गत किया गया था।

शासनादेश संख्या– 1130/60–3–2015–18(सा0)/15 दिनांक 11 सितम्बर, 2015 उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 की सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना किए जाने के लिए अनावर्तक अनुदान के रूप में रू0 745.41 लाख (रूपए सात करोड़ पैंतालिस लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या– 1763/60–3–2015–18(सा0)/15 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत 25 शैयाओं की बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना के लिए स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 745.41 लाख (रूपए सात करोड़ पैंतालिस लाख इक्तालीस हजार मात्र) का व्यय डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत संलग्न आगणन के अनुसार व्यय किया जाएगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्रस्तर– 2 व 5 (च) के उपबन्ध के अनुसार निर्माण कार्यों की लागत रू0 एक करोड़ से अधिक होने पर उसे दो किश्तों में अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के दृष्टिगत बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना के आगणन में निर्माण कार्य मद में ''बिल्डिंग रि–स्ट्रक्चरिंग'' के लिए निर्धारित रू0 300.00 लाख की धनराशि को दो किश्तों में आहरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतएव उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन हेतु निदेशालय पत्र संख्या–269–75/निदे0म0क0/कम्प्यू0सेल/205–16, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्गत आहरण वितरण सम्बन्धी आदेश निरस्त करते हुए पुनः निम्नवत् आदेश पारित किये जाते हैं :–

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत 25 शैयाओं की बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना के लिए निदेशालय पत्र संख्या– 437/निदे0म0क0/कम्प्यू0सेल/2015–16, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष को आवंटित की गयी धनराशि रू0 50 करोड़ में से रू0 745.41 लाख वापस लेकर आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को उनके डी0डी0ओ0 कोड संख्या– 4165 को आवंटित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1817/60–3–15–8सा./15 लखनऊ दिनांक 16 नवम्बर, 2015 में अंकित निर्देशानुसार रू0 595.41 लाख (रुपए पॉच करोड़ पिचान्नबे लाख इकतालीस हजार मात्र) कुलपति, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–49 के आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनागत– 103–महिला कल्याण–10–उ0प्र0 महिला सम्मान कोष–42–अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

( राम केवल )
निदेशक।

<u>पृष्ठांकन एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. कुलपति, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/आहरण एवं वितरण अधिकारी कोष प्रबन्ध इकाई, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, लखनऊ।

17.11.15

( राम केवल )
निदेशक।